30 भारतीय मछुआरों को सोमवार सुबह अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के पास से पाकिस्तान मरीन एजेंसी ने गिरफ्तार करने के साथ ही उनकी छह नावें जब्त कर लीं। मछुआरे गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के रहने वाले हैं।

नाबालिग पत्नी बालिग होने पर पति संग रहना चाहे तो शादी वैध : कोर्ट

- बांबे हाई कोर्ट ने कहा, महिला के भविष्य को सुरक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण
- जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने दिया यह फैसला

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी नाबालिग लड़की की शादी कर दी जाती है और 18 साल की होने के बाद वह अपने पति के साथ रहना चाहती है तो वह शादी वैध है। हाई कोर्ट ने 56 साल के एक वकील की नाबालिग के साथ शादी को वैध ठहराया, लड़की ने बालिग होने के बाद उसके साथ रहने की इच्छा जताई थी।

जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने पिछले हफ्ते आरोपी वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। 2014 में 52 साल के वकील की शादी 14 साल की शिकायतकर्ता से हुई थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके दादा-दादी ने जबरन उसकी शादी करा दी थी। उसकी शिकायत पर वकील को पॉक्सो कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 10 महीने बाद वह जमानत पर रिहा हुआ।

वकील ने अपनी याचिका में रेप के केस को खत्म करने की मांग की है। पिछले साल सितंबर में 18 की होने वाली शिकायतकर्ता ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह अब अपने पति के साथ रहना चाहती है और केस खत्म किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुणा कामत पई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करने से गलत परंपरा पड़ेगी और समाज में गलत संदेश जाएगा।

पीठ ने दो मई को दिए अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब शादी हुई थी तब महिला नाबालिग थी। लेकिन अब वह बालिग है और अपने पति के साथ रहना चाहती है, इसलिए उनकी शादी सून्य होते हुए भी वैध हो जाती है।

पीठ ने महिला के पति को उसके नाम पर 10 एकड़ जमीन और सात लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह उसकी शिक्षा भी पूरी कराएगा।

अब इस मामले की सुनवाई सितंबर में होगी। इस बीच अदालत यह देखेगी की उसके आदेश का पालन हुआ या नहीं, उसके बाद ही केस को खत्म करने के संबंध में फैसला करेगी।

अंतरिक्ष में स्थापित होगी भारत की दूसरी आंख

पाकिस्तान के बालाकोट में छह आतंकी शिविरों में से पांच पर भारतीय लड़ाकू विमानों ने अचूक निशाना लगाया, सिर्फ एक लक्ष्य पर निशाना सटीक नहीं बैठा। अब ऐसा नहीं होगा। आगामी 22 मई को भारत अंतरिक्ष में अपनी दूसरी आंख स्थापित करने जा रहा है। इस रडार इमेजिंग सेटेलाइट (रीसैट-2बीआर1) द्वारा किसी भी मौसम में एक मीटर की दूरी पर स्थित दो वस्तुओं की सटीक पहचान की जा सकेगी। इसी श्रृंखला के पूर्व में भेजे गए सेटेलाइट के इनपुट से ही भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और जैश-ए-मुहम्मद के कैंपों को तबाह किया था।

रीसैट-2बीआर1

भारत की अंतरिक्ष में दूसरी आंख कहे जाने वाले इसरो के इस आधुनिक रडार इमेजिंग सेटेलाइट को 22 मई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा।

खूबियों से लैस

इस श्रृंखला के पूर्व में भेजे गए सेटेलाइट से यह काफी उन्नत है। इसकी इमेजिंग और सर्विलांस क्षमता काफी अधिक है। इसका एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार (एसएआर) रात दिन किसी भी मौसम में काम करेगा। बादलों के बीच भी लक्ष्य के पहचान की क्षमता है। धरती पर एक मीटर के दायरे में चीजों की स्पष्ट पहचान में सक्षम है। एक दिन में धरती पर मौजूद किसी वस्तु की यह दो या तीन बार तस्वीर ले सकेगा। इसीलिए गुलाम कश्मीर में आतंकी कैंपों और सीमा पार कर घुसपैठ करने वाले आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने में इसे ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है।

समुद्र का भी चीरेगा सीना

भारतीय सीमाओं को हर ओर से सुरक्षित रखने में इसका अहम योगदान होगा। जिस तरह से चीन हिंद महासागर में भारत की घेरेबंदी कर रहा है उससे उसके युद्धपोतों पर नजर रखने में इस सेटेलाइट की बड़ी भूमिका होगी। अरब सागर में पाकिस्तानी पोतों पर भी इसकी टकटकी होगी। आपदा प्रबंधन में भी इसका प्रभावी उपयोगिता साबित होगी।

26/11 के बाद महसूस हुई जरूरत

मुंबई में 26 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद रीसैट-1 पर रीसैट-2 कार्यक्रम को वरीयता दी गई। वजह यह थी कि इसमें इजरायल निर्मित ज्यादा उन्नत रडार प्रणाली लगी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि के लिए इसे 20 अप्रैल, 2009 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। धरती से 536 किमी की ऊंचाई पर यह सेटेलाइट रात-दिन भारतीय सीमाओं की निगहबानी कर रहा है।

एक साल बाद ही सहमति से हो सकता है तलाक : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शादी के एक साल के भीतर आपसी सहमति से तलाक का मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। कहा कि धारा 13 बी के तहत एक साल के बाद ही सहमति से तलाक हो सकता है। यह फैसला न्यायमूर्ति एसके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रयागराज के अर्पित गर्ग व आयुषी जायसवाल के बीच तलाक से इन्कार करने के परिवार न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए दिया है।

अर्पित और आयुषी की शादी नौ जुलाई 2018 को हुई। 12 अक्टूबर 2018 से दोनों अलग रहने लगे। 20 दिसंबर 2018 को आपसी सहमति से तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया। परिवार न्यायालय ने तलाक के मुकदमे के लिए निर्धारित एक साल की अवधि से पहले दाखिल मुकदमे को समय पूर्व मानते हुए वापस कर दिया। जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी का कहना था कि दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है। वे अलग रहना चाहते हैं। इसलिए दोनों ही तलाक के लिए राजी हैं। एक साल की वैधानिक अड़चन दूर की जाय। कोर्ट ने शीर्ष कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट वैधानिक व्यवस्था को माफ नहीं कर सकती। तलाक के लिए एक साल की अवधि का बीतना बाध्यकारी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को दिए एक हजार करोड़ रुपये

मदद ▸ कहा, फणि से हुई तबाही से लड़ने के लिए केंद्र पूरी तरह ओडिशा के साथ

राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी धन्यवाद दिया

जेएनएन, नई दिल्ली

ओडिशा में फणि तूफान से तबाही का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ओडिशा पहुंचे और राज्य तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने राहत एवं पुनर्वास कार्य के लिए ओडिशा को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। घोषणा के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सहायता राशि जारी भी कर दी। सोमवार को पीएम ने पुरी व उसके आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहां से लौटकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की।

प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले राज्य की जनता और मछुआरों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राज्य सरकार की बातों को मान लिया। करीब 12 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ आश्रय स्थलों पर आश्रय लिए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि जैसे ही हमें सूचना मिली कि ओडिशा में प्राकृतिक आपदा आने वाली है, हमने 381 करोड़ रुपये राज्य सरकार को सौंप दिए थे और आज हम फिर से स्थिति को समीक्षा करने के बाद एक हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर मृतक के परिजनों को दो-दो लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की। वहीं सोमवार को पीएम मोदी ने बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा कि मैं फणि तूफान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करना चाहता था, लेकिन अहंकारी स्पीड ब्रेकर दीदी ने दो बार मेरा फोन नहीं उठाया।

बैठक से भी कर दिया इन्कार : पीएम ने कहा, 'स्पीडब्रेकर दीदी के हठी रवैये की वजह से बंगाल के विकास पर ब्रेक लगा हुआ है। चक्रवात से हुए नुकसान के निरीक्षण के लिए मैं स्थानीय प्रशासन संग चर्चा करना चाहता था। भारत सरकार क्या मदद करे, इसकी जानकारी लेना चाहता था, लेकिन स्पीडब्रेकर दीदी ने उसे भी मना कर दिया।'

दीदी जयश्री राम, अब मुझे भी जेल में डाल दें : पीएम मोदी ने कहा, दीदी जयश्री राम, अब मुझे भी जेल में डाल दें। दोनों ही सभा की शुरुआत मोदी ने जयश्री राम के नारे के साथ की। बताते चलें कि दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग जब सड़क किनारे जयश्री राम के नारे लगा रहे थे तो अचानक ममता गाड़ी रुकवा कर उतर गई और नारे लगाने वालों पर जमकर बरसी थीं।

> फणि के संबंध में मैंने ममता दीदी से बात करने की कोशिश की थी। लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं इंतजार करता रहा कि शायद वह वापस मुझे फोन करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैंने उन्हें दोबारा फोन किया। दीदी ने दूसरी बार भी मुझसे बात नहीं की। दीदी को राजनीति की इतनी ज्यादा चिंता है। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है।
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ओडिशा में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ फणि से तबाह इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। जागरण

पाकिस्तान ने फिर की गोलाबारी, एसआइ सहित तीन घायल

जागरण संवाददाता, पुंछ : पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी पुंछ में नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी की। इसमें सीमा सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर सहित तीन लोग घायल हो गए। पिछले दो दिन में राजौरी और पुंछ में पाक गोलाबारी में एक कर्नल और चार जवानों समेत 10 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं, भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देर रात तक दोनों तरफ से गोलाबारी जारी रही। इसके अलावा गोलाबारी से सीमा पर आग भी लग गई है, जिससे सीमा पर बिछी बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो रहे हैं। सेना के जवान और सेना के दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं, पाक गोलाबारी से सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है।

> **गोलाबारी से सीमा पर आग लगने से बारूदी सुरंगों में हो रहे विस्फोट**

पाकिस्तान ने सुबह ही गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया था। पाक सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर में सैन्य चौकियों के साथ रिहायशी क्षेत्रों को भी निशाना बनाकर जोरदार गोलाबारी की। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल की 168 बटालियन के सब इंस्पेक्टर गोकुल नाथ घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस गोलाबारी में मनकोट गांव के मकसूद अहमद और मोहम्मद आशिक भी घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाक सेना भारतीय क्षेत्र में तोप के गोले भी दाग रही है, जिससे भारतीय क्षेत्र में अधिक नुकसान हो रहा है। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया।

सुबूत जुटाने के बाद चिदंबरम व कार्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत : ईडी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एयरसेल- मैक्सिस डील मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष कोर्ट में कहा कि यूनाइटेड किंगडम व सिंगापुर से लेटर रोगेटरी (साक्ष्य के लिए प्रार्थना पत्र) मिलने के बाद वह आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी ने कहा कि उन्होंने एक संयुक्त टीम को सिंगापुर भेजा है और उसे जल्द से जल्द सुबूत लेकर आने को कहा है। सुनवाई के बाद अदालत ने कार्ति व पी. चिदंबरम को दी गई गिरफ्तारी पर सुरक्षा को 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया।

दोनों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अग्रिम जमानत की मांग की और आरोप लगाया कि एजेंसी जानबूझकर मामले को लटका रही है। इस पर एजेंसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व अधिवक्ता सोनिया माथुर ने कहा कि कार्ति चिदंबरम एजेंसी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं, वह टेनिस खेलने के लिए विदेश जाने को लगातार आवेदन दाखिल कर रहे हैं। ऐसे में जब एजेंसी ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए और समय मांगा तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दोनों को गिरफ्तारी पर मिली सुरक्षा को बढ़ाने की अपील की। सीबीआइ और ईडी द्वारा अपील का विरोध नहीं करने पर अदालत ने सिंघवी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोनों को दी गई गिरफ्तारी पर सुरक्षा को 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया।

अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कार्ति व पी. चिदंबरम एक सार्वजनिक जीवन में हैं और जमानत पाने के हकदार हैं। इस पर पीठ ने एजेंसी पूछा कि अग्रिम जमानत पर जिरह के लिए कितना समय चाहिए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी जल्द कि किसी और को सिंगापुर व यूके भेजकर जांच तेज करने को कहेगी। पिछले साल 25 अक्टूबर को ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष अदालत में दायर इस आरोप पत्र में चिदंबरम के अलावा आठ अन्य को नामजद किया गया था। आरोप पत्र में चिदंबरम को आरोपित नंबर एक बताया गया है। इसके अलावा कार्ति के सीए एस भास्करन, एयरसेल के पूर्व सीईओ वी. श्रीनिवासन, मैक्सिस से अगस्तस रालफ मार्शल, एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क, एयरसेल टेलिवेंचर, मैक्सिस मोबाइल सर्विस, बुमि अरमदा, बुमि अरमदा नेविगेशन को नामजद किया गया है।

विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत नौ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

जागरण संवाददाता, हमीरपुर

सामूहिक हत्याकांड में सजा पाए उप्र के हमीरपुर सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत नौ लोगों के खिलाफ सोमवार को स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब इन सभी के अदालत के समक्ष जल्द सरेंडर के कयास लगाए जा रहे हैं।

22 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1997 को रमेड़ी निवासी राजीव शुक्ला के भाई राकेश, राजेश व भतीजे अंबुज शुक्ला उर्फ गुड्डा सहित पांच परिजनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 11 लोगों पर अदालत में मुकदमा चला। स्थानीय अदालत ने 2002 में दस आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया था जबकि, बाद में हाजिर हुए रुक्कू को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषमुक्त किए गए सभी 10 लोगों पर हाई कोर्ट में मामला चला। इस पर 19 अप्रैल को हाई कोर्ट ने सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित नौ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। बीते शुक्रवार को हाई कोर्ट का आदेश स्थानीय अदालत में आ गया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता निषेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को सभी नौ लोगों के खिलाफ प्रभारी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शमसुल हक ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। वारंट जारी होने के बाद विधायक सहित अन्य लोगों के जल्द अदालत में सरेंडर करने की चर्चा है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि अभी तक कार्यालय में वारंट प्राप्त नहीं हुआ है। मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

19 अप्रैल को हाई कोर्ट ने सभी को सुनाई थी उम्रकैद की सजा

एसआइटी के समक्ष पेश हुए पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद एवं दाऊ कल्याण सिंह (डीकेएस) सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक डॉ. पुनीत गुप्ता सोमवार को एसआइटी के समक्ष पेश हुए। हॉस्पिटल में 50 करोड़ रुपये के घपले के आरोपों से घिरे गुप्ता सोमवार सुबह 10.30 बजे गोलबाजार थाने पहुंचे। थाने में एसआइटी की टीम ने उनसे गड़बड़ी के संबंध में पूछताछ की। तकरीबन तीन घंटे की पूछताछ में डॉ. गुप्ता ने ज्यादातर सवालों का जवाब 'ना' में ही दिया। इसके बाद वे चले गए। गौरतलब है कि डीकेएस से डॉ. गुप्ता को तमाम आरोपों के बाद हटाया गया था। उन्हें रायपुर मेडिकल कॉलेज में ओएसडी बना दिया गया था, जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो सोमवार तक मंजूर नहीं हुआ है। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ. केके सहारे ने 50 करोड़ रुपये की गड़बड़ी पर डॉ. गुप्ता के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करवाई।

लांच हुई चौथी स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बी वेला

राज्य ब्यूरो, मुंबई

स्कॉर्पिन क्लास की चौथी स्वदेश निर्मित पनडुब्बी वेला का सोमवार को मुंबई में जलावतरण हो गया। कुछ महीनों के ट्रायल के बाद इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी आइएनएस कलवरी करीब डेढ़ साल पहले नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। इन उन्नत पनडुब्बियों से समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ेगी।

सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लि. (एमडीएल) द्वारा तैयार इस पनडुब्बी का जलावतरण रक्षा उत्पादन सचिव डॉ. अजय कुमार की धर्मपत्नी वीना अजय कुमार के हाथों हुआ। परंपरानुसार जलावतरण की रस्म किसी उच्च नौसेना अधिकारी या रक्षा विभाग के उच्चाधिकारी की पत्नी के हाथों ही किया जाता है। यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट-75 के तहत तैयार की जा रही कुल छह पनडुब्बियों में चौथी है। इससे पहले पिछले तीन वर्षों में तीन पनडुब्बियों का जलावतरण हो चुका है। इसमें से पहली पनडुब्बी आइएनएस कलवरी 14 दिसंबर, 2017 को नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। जलावतरित हो चुकीं आइएनएस खंडेरी एवं आइएनएस करंज भी जल्दी ही नौसेना के बेड़े का हिस्सा बन जाएंगी। इस श्रेणी की अगली दो पनडुब्बियां आइएनएस वागीर एवं आइएनएस वागशीर का भी कुछ ही महीनों में जलावतरण होने की उम्मीद है। जलावतरण के बाद नौसेना के बेड़े में शामिल करने से पहले इन पनडुब्बियों का गहन ट्रायल होगा।

प्रोजेक्ट-75 के तहत फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप (पूर्व नाम डीसीएनएस) के साथ मिलकर एमडीएल ने छह पनडुब्बियों के निर्माण की योजना 2005 में बनाई गई थी। इन पर कुल लागत 45,000 करोड़ आनी है। नेवल ग्रुप ने इन सभी पनडुब्बियों का डिजाइन तैयार किया है। मेक इन इंडिया के तहत एमडीएल इनके निर्माण में रक्षा उत्पादन से जुड़ी अडानी डिफेंस एवं लार्सन एंड टुब्रो जैसी भारतीय कंपनियों का भी सहयोग ले रही है।

मुंबई में नौसेना की स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वेला का सोमवार को विधिवत जलावरण किया गया। प्रेट्र

चार धाम यात्रा

मंगलवार को विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी चार धाम यात्रा, गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना, यमुना की डोली मंगलवार को पहुंचेगी यमुनोत्री धाम, ऊखीमठ से रवाना हुई बाबा केदार की डोली, गुरुवार को पहुंचेगी केदारनाथ धाम

आज खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी

अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही बहुप्रतीक्षित चार धाम यात्रा का औपचारिक तौर शुभारंभ हो जाएगा। इस खास अवसर के लिए दोनों मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। सोमवार को गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। यमुना की डोली मंगलवार को यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी।

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गंगोत्री मंदिर को 15 क्विंटल तो यमुनोत्री मंदिर को दो क्विंटल फूलों से सजाया गया है। सोमवार सुबह से ही गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में धराली और हर्षिल के ग्रामीणों के साथ ही सैकड़ों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मंत्रोच्चारण के बीच गंगा की भोग मूर्ति का श्रृंगार किया गया और दोपहर बाद ठीक 12.15 बजे डोली मंदिर से बाहर लाई गई। गंगा के जयकारों के बीच सेना की महार रेजीमेंट की बैंड की धुन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ डोली अपने पहले पड़ाव भैरव घाटी पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद डोली मंगलवार सुबह गंगोत्री के लिए रवाना होगी और सुबह 11:30 बजे धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।

रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से सोमवार को बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली केदरानाथ धाम के लिए रवाना हुई। आठ मई को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। जागरण

बाबा केदार की डोली केदारनाथ के लिए रवाना : ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की उत्सव डोली भी परंपरा के अनुसार केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। शीतकाल के दौरान छह माह बाबा केदार ओंकारेश्वर में ही विराजमान रहते हैं। सोमवार सुबह सेना के बैंड की धुनों के बीच हजारों श्रद्धालुओं के साथ उत्सव डोली शाम को अपने पहले पड़ाव फाटा पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद उत्सव डोली बुधवार को गौरीकुंड और गुरुवार को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इस अवसर पर केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग और श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष अशोक खत्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

बदरीनाथ धाम के रावल ने देवप्रयाग में संगम पर की पूजा : बदरीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नम्बूदरी ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में दर्शन कर संगम पर पूजा-अर्चना की। दस मई को बदरीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। परंपरा के अनुसार रावल बदरीनाथ के तीर्थ पुरोहितों की नगरी देवप्रयाग पहुंचे और चारधाम यात्रा की सफलता के लिए मंगलकामना की। इसके बाद वह बदरीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए।

जवान के खुदकशी की वजह कोर्ट मार्शल का डर था, न कि वीडियो

मुंबई, प्रेट्र : सेना के जवान रॉय मैथ्यू के आत्महत्या मामले का कारण कोर्ट मार्शल का डर था, न कि स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो। यह बात सोमवार को बांबे हाई कोर्ट ने एक वरिष्ठ पत्रकार और एक पूर्व सैनिक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को खारिज करते हुए कही। हाई कोर्ट ने मामले में विस्तृत आदेश सोमवार को दिया है जबकि अंतरिम आदेश 18 अप्रैल को ही दिया जा चुका था। स्टिंग ऑपरेशन सेना में अंग्रेजों के जमाने से जारी सहायक व्यवस्था (बडी सिस्टम) के खिलाफ था।

मामला 27 मार्च, 2017 का है। नाशिक की देवलाली कैंप थाना पुलिस ने पत्रकार पूनम अग्रवाल और पूर्व सैनिक दीपचंद सिंह के खिलाफ रॉय मैथ्यू को आत्महत्या के लिए बाध्य करने और सरकारी दस्तावेज/जानकारी को बिना अनुमति के सार्वजनिक करने के मामले दर्ज किए। ये मामले सात फरवरी, 2017 को मैथ्यू की आत्महत्या के सिलसिले में दर्ज किए गए, जो सेना में सहायक के पद पर तैनात था। पुलिस के अनुसार मैथ्यू एक सैन्य अधिकारी के सहायक के रूप में तैनात था। सहायक का कार्य अधिकारी को निजी कार्यों में सहायता देना होता है। पत्रकार के स्टिंग ऑपरेशन में यह बात सार्वजनिक हुई। उसके बाद शर्म की वजह से मैथ्यू ने आत्महत्या कर ली।

▸ **मामले में पत्रकार और पूर्व सैनिक आरोप से बरी**

पुलिस के मुकदमा दर्ज करने के बाद पत्रकार अग्रवाल और पूर्व सैनिक ने मामला रद करने का आदेश देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रणजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने 18 अप्रैल को पत्रकार और पूर्व सैनिक के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया था। उन्हें मामले से बरी कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि इस तरह के मामले दुखद हैं और अधिकारियों को चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को बेहतर माहौल दें।